

पञ्चावली प्रकृत । प्रार्थी का वाड  
रखात्रि किया जा चुका है ।  
अतः प्रार्थी का प्रार्थना - पत्र  
रखात्रि किया जाता है ।

पञ्चावली तदनुसार फँसल  
सुभर वाड तदमील नम्बर ले  
कम लेकर मूल वाड के साथ  
संलग्न की जावे ।

निर्णय सुनाया गया ।

(मोनिका बनारा)

सहायक आयुक्त उपनिवेशन  
प्रथम, बीकानेर